राष्ट्रीय जनता दल
चुनाव घोषणा पत्र
16 वीं लोकसभा
2014

प्रस्तावना

लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का आम चुनाव होने जा रहा है। आज के राजनीति परिवेश में होने वाली 16 वीं लोकसभा चुनाव का विशेष महत्व है। यह चुनाव तय करेगा कि भारत की धर्मनिरपेक्ष संसदीय लोकतंत्र की पहचान कायम रहेगा अथवा 1947 की स्थिति में वापस लौटेगा। शासन एवं प्रशासन में आमलोगों की सहभागिता रहेगी या वह चन्द कारपोरेट घरानों को चेरी बनेगी।

राष्ट्रीय जनता दल धर्मनिरपेक्षता समावेशी विकास के साथ सामाजिक न्याय और संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करता है। यही इसका वैचारिक आधार है, हमारा मानना है कि संसंदीय लोकतंत्र की गाड़ी के दो पहिये है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। इन दो पहियों के मजबूती से ही लोकतंत्र की गाड़ी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को स्थापित करने और सामाजिक न्याय की धारा को प्रशस्त एवं विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय जनता दल मानता है कि भारत एक समन्वित संस्कृति का देश है। जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं, रीति–रिवाजों, आस्थाओं और विश्वासों के लोग रहते है। विभिन्नता में एकता इसकी विशेषता है। भारतीय संविधान ने सबको अपनी आस्था के अनुरूप पूजा–इवादत और जीवन–यापन के अधिकार दिये है। इसके बावजूद साम्प्रदायिक और फासीवादी शक्तियां घृणा और धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज में अशान्ति और हिंसा पैदा करना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल इन साम्प्रदायिक एवं कटरपंथी ताकतों की साजिशों को विफल करेगा तथा सामाजिक समरसता, धार्मिक सदभाव सौहाद और राष्ट्रीय एकता के साथ ही समावेशी विकास के सुत्र को मजबूत करेगा।

अपने उक्त संकल्पों को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय जनता दल द्वारा धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस पार्टी एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़नें का निर्णय लिया गया है। हमने आने वाले दिनों के लिए एक कार्य–योजना बनाई है। जिसे हम घोषणा पत्र के रूप में जारी कर रहे है।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा

बिहार के बंटवारे के समय से ही राष्ट्रीय जनता दल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज देने की मांग करती रही हैं। 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार से बिहार को विशेष दर्जा की मांग की गई। भाजपा और जदयू की मुख्य भागीदारी वाली केन्द्र की सरकार द्वारा उतराखंड को विशेष दर्जा दिया गया परन्तु बिहार की मांग अनसूनी की गई। जबकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वह सबसे अनुकुल समय था। इसका श्रेय राजद को नहीं मिले इसके लिए जदयू और भाजपा दोनों मिलकर अड़गां लगाकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने दिया। 3 फरवरी 2002 को गांधी मैदान में आयोजित सभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष हजारों बिहार वासियों की उपस्थिति में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा बिहार को बिशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दुहराई गई। राजद सरकार द्वारा ही 2 अप्रैल 2002 को पुनः विशेष राज्य की दर्जे की मांग सर्वसम्मत से बिहार विधानसभा में पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा गया। 16 मई 2002 को लोकसभा में भी राजद के नोटिस पर नियम 193 के तहत चर्चा हुई। परन्तु केन्द्र की भाजपा और जदयू की भागीदारी वाली सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। भाजपा और जदयु द्वारा जानबुझ कर एक साजिश के तहत बिहार की उपेक्षा की गयी। और 8 वर्ष के एनडीए शासनकाल में बिहार को मात्र 7793 करोड़ रूपये की सहायता उपलब्ध कराई गई। 2004 में राजद की भागीदारी वाली युपीए एक की सरकार और 2009 में राजद समर्थित युपीए दो की सरकार केन्द्र में बनने के बाद 10 वर्षों में एक लाख बियालिस हजार करोड़ रूपया बिहार को मिला। जदयू और भाजपा दोनों दलों ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर राजनीति कर इस मांग को कमजोर करने का काम किया है। राजद बिहार को उचित हक दिलाने के लिए सार्थक पहल करती रही है और करती रहेगी।

रेल

यपीए प्रथम की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू पसाद की प्रशासनिक क्षमता, प्रबंध कौशल एवं सुझ–बुझ से भारतीय रेल विश्व में सफलता की अनुठी कहानी बन गई थी। जहां यात्री सुविधा बरकरार रखते

हुए यात्री किराया घटाकर बेहतर प्रबंधन से रेलवे की आमदनी में अभतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। घाटे में चलने वाली रेल 90 हजार करोड़ के मुनाफे में पहुंच गई। देश के दुर्गम मार्गो तक रेल सेवा का विस्तार हुआ। आम यात्रियों के लिए गरीब रथ का परिचालन शुरू किया गया। देश में जपान की तरह बुलेट ट्रेन चलाने की योजना थी। बिहार में रेल मंत्रालय द्वारा विकास के सभी बुनियादी ढ़ाचों पर तेजी से काम हुआ। छपरा में रेल पहिया कारखाना, मढ़ौरा में डीजल और मधेपुरा में इलेक्ट्रीक ईजंन कारखाना का काम प्रारंभ किया गया। भारत वैगन लिमिटेड के मोकामा एवं मुजफ्फरपुर स्थित वैगन कारखाना को रेल मंत्रालय द्वारा अधिगृहित किया गया। राष्ट्रीय जनता दल शिथिल पडो रेल परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के साथ ही अन्य नई परियोजनाएं बिहार में लाने का काम करेगा।

साम्प्रदायिकता

आज कुछ लोग भारत को सन् 1947 के विभाजन के राजनीति की ओर ले जाना चाहते है। राष्ट्रीय जनता दल उनके मनसूबों को चकनाचुर कर किसी भी कोमत पर भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि पर आंच नही आने देगी। राजद साम्प्रदायिकता के खिलाफ कठोर कानून बनायेगी।

समाजिक समरसता

राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक समरसता और आर्थिक स्वावलम्बन लाने तथा वंचितों को मान–सम्मान देने के लिए आरक्षण के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का हिमायती है। यह विभिन्न कोटि के सेवाओं के साथ नीजी क्षेत्र में भर्ती के साथ–साथ प्रोन्नतो में भी आरक्षण देने का पक्षधर है। शिक्षा और रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के साथ न्यायपालिका में भी आरक्षण देने का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल करता है। यह महिला आरक्षण का भी समर्थक है। इसका मानना है कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं को भी उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। ऊँची जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए; इसके लिए संविधान में संशोधन किया जायेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्र की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है। राष्ट्रीय जनता दल रक्षा बजट में बढ़ोतरी, सेना का आधुनिकीकरण एवं सुविधा सम्पन्न बनाने का

हिमायती है। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए आयोग का गठन किया जायेगा। राजद समान रैंक समान पेंशन की नीति लागु करेगी। हम इसे कतई बर्दास्त नहीं कर सकते कि कोई हमारे सीमा को लांघने का दुस्साहस करें।

विदेश निति

राष्ट्रीय जनता दल विदेश नीति के मामले में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार करता है तथा सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों का हिमायती है।

अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत और विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के पक्ष में है। राष्ट्रीय जनता दल श्रम प्रधान उद्योग के विकास को बढ़ावा देगी जिसक अन्तर्गत ऐसे छोटे उद्योगों पर बल दिया जायेगा। जिनमें हमारे औद्योगिक श्रमिकों की 85 प्रतिशत संख्या को रोजगार मिले। हमारा यह मानना है कि आर्थिक योजना तैयार करने का उद्देश्य केवल उत्पदान को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करना भी है। निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के नये अवसर पैदा किये जायेंगे।

राष्ट्रीय जनता दल मंहगाई कम करने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए कारगर और सख्त कदम उठाये जायेगें।

खाद्य सुरक्षा

राष्ट्रीय जनता दल हर भारतीयों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने का हिमायती रहा है और इसीलिए खाद्य सुरक्षा कानून बनवाने में राजद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम इसे सख्ती से लागू कराने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हर भारतीयो को पोष्टिक भोजन उपलब्ध हो।

आवास

राष्ट्रीय जनता दल सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास अधिकार कानून बनायेगी। राष्ट्रीय जनता दल की सहभागिता वाली यूपीए की सरकार द्वारा इन्दिरा आवास के साथ शौचालय एवं रसोईघर का प्रावधान शामिल किया गया। इन्दिरा आवास की राशि बढ़ाई गई। राष्ट्रीय जनता दल नगरों एवं महानगरों में रहने वाले आवासहीन परिवारों को जमीन को व्यवस्था कर आवास बनवायेगी। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल की सरकार द्वारा शहरों में बनाये गए रैन बसेरों को और अधिक सुविधा सम्पन्न बनाया जायेगा।

कृषि

राष्ट्रीय जनता दल मानता है कि कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों एवं कृषि मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाए बगैर देश का विकास संभव नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल किसानों को उत्तम बीज, खाद, डीजल, टुयूबवेल एवं कृषि उपकरणों के लिए आसान शर्तों पर ऋण एवं समुचित सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाया जायेगा और प्रर्याप्त क्रय केन्द्र कायम किए जायेगें। सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया जायेगा। कृषि बीमा को अनिवार्य किया जायेगा और इसकी ईकाई गांव को बनाया जायेगा। प्रीमियम की राशि का भुगतान आसान बनाया जायेगा। चौर क्षेत्रों के लिए विशेष योजना बनाई जायेगी। साथ ही उन क्षेत्रों के लिए जलीय/वैकल्पिक खेती की व्यवस्था सुनिशिचित की जायेगी। किसानों को रियायत दर पर बिजली उपलब्ध कराई जायेगी। गोदाम एवं शीत–गृहों के निर्माण के लिए किसानों को विशेष अनुदान दिया जायेगा। जिला स्तर पर कृषि अनुसंधान केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी। किसानों को खाद्य प्रसस्करण उद्योग लगाने हेतु विशेष रियायत दी जायेगी। गांवों को आधारभूत संरचना के निर्माण को पहली प्राथमिकता दी जायेगी। कृषि के साथ ही पशुपालन, मतस्यपालन, मूर्गीपालन, बकरीपालन, भेड़पालन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और किसानों को उन्नत किस्म के पशु एवं आधुनिक तकनीकि के प्रोत्साहन हेतु विशेष पैकेज दिया जायेगा।

जल प्रबंधन एवं संरक्षण

जल का संरक्षण राजद के प्राथमिकता सूची में है। विशेष कार्य योजना बनाकर वर्षा के जलों को संरक्षित किया जायेगा। कुशल जल प्रबंधन के द्वारा बाढ़ के पानी को बर्बाद होने से रोका जायेगा। और इसका उपयोग पेयजल, सिंचाई एवं ऊर्जा उत्पादन में किया जायेगा। देश की जीवन धारा गंगा सहित अन्य नदियों से गारद निकालकर उन्हें प्रदुषण मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाये जायगें। जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण अधिनियम बनाया जाएगा।

भूमि सुधार

राष्ट्रीय जनता दल भू–अभिलेखों को अप टू डेट कर कम्प्यूटराईज करेगी। भूमिहीनों के हाथ में उत्पादन का साधन देने के निति के अन्तर्गत हमारा प्रयास होगा कि न केवल उन्हें घर बनाने के लिए जमीन मिले बल्कि जमीन खरीदकर उन्हें भू–धारी भी बनाया जायेगा। यह ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय जनता के दल

शासनकाल में भूमिहीनों को घर बनाने के लिए 4 डीसमिल जमीन दिया जाता था। जिसे एनडीए सरकार द्वारा 2 डीसमिल कर दिया गया है जिसका अनुपालन भी नहीं हो रहा ह। भू–दान, गैरमजरूआ एवं भू–हदबंदी की अधिशेष भुमि विशेष अभियान चलाकर भूमिहीनों को दखल कब्जा दिलाया जायेगा। बिहार में बढ़ाये गए जमीन रजिस्ट्री शुल्क एवं शहरों में लगाये गए होल्डिंग टैक्स को कम किया जायेगा।

शिक्षा

राष्ट्रीय जनता दल शिक्षा को ऐसा साधन मानता है जिसके जरिए जनता में सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक चेतना सही मायनों में लाई जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जायेगा एवं तत्काल प्रभाव स अनुबंध पर नियोजित सभी शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति की जायेगी। और उन्हें नियमित शिक्षकों को दी जाने वाली सभी सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों, इन्टर एवं डिग्री सहित सभी वितरहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं शिक्षेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमित की जायेगी। राजद के सहभागिता वाली युपीए सरकार में सर्वशिक्षा अभियान लागू किया गया जिसके तहत 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों एवं कमजोर वगो के बीच प्रत्येक टोले में प्राथमिक विद्यालय, प्रत्येक गांव में मध्य विद्यालय एवं प्रत्येक पंचायत में उच्च विद्यालय खोलने की योजना है। प्रत्येक विद्यालय को भवन, शौचालय, पेयजल एवं उपष्कर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं खेलकद की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक प्रखंड में मॉडल विद्यालय की स्थापना, जिसमें बच्चों को सभी सुविधाएं मुफ्त दी जायेगी।

राजद के समर्थन वाली युपीए की सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। राजद इस अधिनियम को लागू करने के लिए कृत संकल्पित है। मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों सहीत राज्य सरकार से स्थापना की अनुमति प्राप्त सभी विद्यालयों में मध्याहन भोजन, साईकिल एवं छात्रवृति योजना, का लाभ सुनिश्चित किया जायेगा। कस्तुरवा गांधी विद्यालय को 10 वीं कक्षा तक अपग्रेड करने की योजना है। राष्ट्रीय जनता दल गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था करेगी। छात्रों को बैंको से आशान शर्तो एवं न्युनतम

ब्याज पर शिक्षा ऋण मुहैया करायेगी। ब्याज पर सरकार द्वारा विशेष अनुदान दिया जायेगा। विभिन्न प्रकार के छात्रवृति की राशि एवं संख्या में बढ़ोतरी की जायेगी। शिक्षा के व्यवसायिकरण पर लोग लगाई जायेगी। शिक्षकों से शिक्षण के अलावा अन्य किसी प्रकार की सेवा नहीं ली जायेगी।

उच्च शिक्षा को स्वायत्तता दी जायेगी। उच्च शिक्षा में अनुसंधान एवं गुणवत्ता को प्रोत्साहित किया जायेगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास से बिहार में दो–दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। राजद पटना विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए कृत संकल्पित है। राजद के प्रयास से किशनगंज में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की ईकाई खोली गई है। हमारा प्रयास होगा कि बिहार में शोध के लिए अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के शोध–संस्थान खोले जाये। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षक एवं शिक्षेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति शीघ्र की जायेगी।

राजद के प्रयास से पटना ईजीनियरिंग कॉलेज को एन0आई0टी0 का दर्जा प्राप्त हुआ और बिहार में आई0आई0टी0 निफ्ट, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। राजद का प्रयास है कि उक्त संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाया जाय और बिहार में आधुनिक स्तर के प्राद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाय। बिहार में आई.आई.एम. की स्थापना की जायेगी।

स्वास्थय

राष्ट्रीय जनता दल स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम लाकर सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देगी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य किया जायेगा। जिसका प्रिमियम राशि सरकार द्वारा भूगतान किया जायेगा। प्रत्येक पांच हजार की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना की जायेगी। सभी स्वास्थ्य केन्द्रो, रेफरल, अनुमंडलीय एवं जिला अस्पतालों में पर्याप्त कुशल मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, विस्तर आवश्यक आधुनिक उपकरण एवं निशुल्क दवा की व्यवस्था की जायेगी। समुदाय अधारित प्लानिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जायेगा। सभी स्वास्थ्य केन्द्रो पर नवजात शिशु की देखभाल ईकाई की स्थापना की जायेगी।

सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों का आधुनिकीकरण कर स्तरीय बनाया जायेगा। राजद बिहार में एम्स की अन्य ईकाई की स्थापना के लिए प्रयास करेगी।

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही अत्याधुनिक ट्रामा सेन्टर खोलने और प्रत्येक प्रखंड में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की योजना है।

स्वास्थ्य के कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, युनानी, नेचरापैथी के साथ ही होमियोपैथी आदि को भी हम प्रमुखता देंगे। महिलाओं, बच्चों, कामगारों एवं मजदूरों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जायेगी।

जनसंख्या स्थिरीकरण

राष्ट्रीय जनता दल की राय में जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों में स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा। उनमें जागरूकता पैदा करना और उनको छोटे परिवार के लाभ के बार में स्चना देना तथा परिवार को छोटा रखने के लिए तरीकों के बारे में जानकारी देना इसका लक्ष्य होगा।

बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके हम शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा माता और बच्चे की देखभाल को बेहतर बनाकर छोटे परिवार के लिए वातावरण तैयार करेंगे।

जल एवं स्वच्छता

अगले पांच वर्षों में सभी घरों में शौचालय का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा एवं सभी बसावटों में सभी परिवारों को 2015 तक शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगा।

ऊर्जा

राष्ट्रीय जनता दल एक व्यापक ऊर्जा निति तैयार करेगी। जिसके अन्तर्गत विभिन्न श्रोतों जैसे कोयला, जल, सूर्य और वायू से पैदा की जाने वाली बिजली की मात्रा निश्चित की जायेगी। हम पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम शीघ्र बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। राजद के प्रयास से राजीव गांधी विधुत योजना अन्तर्गत बिहार के अधिकांश गांवों में बिजली पहूंचाने का प्रयास हो रहा है। आवश्यकता पड़ी तो हम बिजली खरीदकर भी चौबीस घंटे नियमित रूप से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायेंगे। सरचार्ज बढ़ोतरी को वापस लिया जायेगा। किसानों को सिंचाई के लिए एवं वी0पी0एल0 परिवारों को निशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जायेगी।

पर्यावरण

गरीबी को दूर करने के लिए हम कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। किन्तु हम पर्यावरण को बचाना भी उतना ही जरूरी समझते हैं, क्योंकि यह हमारे पास भावी पीढ़ियों के लिए एक धरोहर के रूप में मौजूद हैं। हम ऐसी रणनीतियां तैयार करेंगे, जिनसे दानों लक्ष्य पूरे हो और हमें पिछले वर्ष के उतराखंड जैसे त्रासदी का पुनरावृति का सामना नहीं करना पड़े। राष्ट्रीय जनता दल वनरोपन, जलविभाजक (वाटरशेड), पहाड़, पुनर्जीवन और जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) संरक्षण पर विशेष ध्यान देगा।

जैव विविधता और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा

राष्ट्रीय जनता दल भारतीय लोगों की अपने जैव संसाधनों और देशीय टेक्नोलॉजी पर मिल्कियत कायम करेगा। हम भारत के जैव संसाधनों या इसके परम्परागत ज्ञान पर आधारित किसी पदार्थ पर पेटेंट की अनुमति नहीं देंगे।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी

हमारी पार्टी देश में वैज्ञानिक सोच के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करेगी। हम जैव तकनीक, सुपर कम्प्यूटर, सूचना तथा अंतरिक्ष टेक्नोलॉजियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रो में अनुसंधान तथा विकास को प्राथमिकता देंगे।

राष्ट्रीय जनता दल विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी को गांवों तक ले जाने का प्रयास करेगा, ताकि नई टैक्नोलॉजी को जोड़कर ग्रामीण व्यवसायों और उत्पादन के तरीकों को सुधारा जा सके। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी तथा अभियांत्रिकी का अधिकतम उपयोग आर्थिक उपलब्धता बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए किया जायेगा।

(क) सूचना पौद्योगिकी

राष्ट्रीय जनता दल सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देगा, जो कि हमारे देश के बढ़ते हुए उद्योग में से एक है। इंटरनेट सेवाओं के अधिकतम विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

(ख) जैव प्रौद्योगिकी

ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल प्रौद्योगिकी का पुरजोर से समर्थन करती। जैव प्रौद्योगिकी को भारतीय अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में परिलक्षित करेगा।

संस्कृति

राष्ट्रीय जनता दल संस्कृति के समन्वित (कम्पोजिट) स्वरूप में विश्वास करता है। इसका मानना है कि संस्कृति इकहरी नहीं, संश्लिष्ट (मिली–जुली) होती है और इसके निर्माण में विभिन्न वर्गो और समुदायों का योगदान होता है। इसके विपरीत भाजपा एवं आर.एस.एस. संस्कृति को इकहरी और खाटी मानकर समाज के दलित एवं अल्पसंख्यक वर्गो के योगदान को अस्वीकार करते हैं। उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रकार से सांस्कृति अलगाववाद है।

राष्ट्रीय जनता दल भारत की गंगा–जमुनी संस्कृति और साझी विरासत को बचाने के लिए संकल्पबद्ध है। यह साहित्य, कला और संस्कृति को विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अनुकूल परिवेश उपलब्ध करायेगा और उन्हें सम्मानित करेगा। साहित्य अकादमी, ललितकला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार तथा आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों में स्थापित किया जायेगा। आई.सी.सी.आर. के माध्यम से सांस्कृतिक–विनिमय कार्यक्रम को बढ़ाया जायेगा और विभिन्न राज्यों के लेखकों, कलाकारों और संस्कृति–कर्मियों को अवसर उपलब्ध कराया जायेगा।

युवा नीति/रोजगार

राष्ट्रीय जनता दल की मान्यता है कि युवक राष्ट्र के कणधार है। हम युवाओं के ऊर्जा और क्षमता को राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में लगाने में यकीन रखते है। राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय युवा नीति बनायेगी और इसके लिए युवा आयोग का गठन किया जायेगा। युवाओं के लिए रोजगार का अधिकार अधिनियम बनाया जायेगा। बेरोजगार युवको के लिए उनकी योग्यता के अनुसार बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया जायेगा। युवाओं के रोजगार के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ ही हस्तकरघा, हस्तशिल्प एवं अन्य परम्परागत उद्योगों को आधुनिक तकनीक के साथ प्रोत्साहित किया जायेगा। रोजगार के अन्य अवसर पैदा कर प्रयास होगा कि एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहे। पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, जिला शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाडो सहायिका, तालिमी मरकज, आशा, ममता, सांख्योकि, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर शिक्षक, चिकित्सक स्वास्थ्य प्रबंधक, एन.एम.आर., जी. एन.एम., टी.टी.ए., जीविका, टोला सेवक, विकास मित्र, न्याय मित्र, न्याय सचिव, रोजगार सेवक, ईन्जिनियर, आरक्षी चालक सहित अनुबंध के आधार पर नियोजित सभी पदों की सेवा स्थायी की जायेगी। सभी होमगार्ड जवानों को स्थायी एवं

नियमित किया जायेगा। एवं तमाम रिक्तियों को विशेष अभियान चलाकर भरा जायेगा। बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा एवं सरकार की ओर से आर्थिक अनुदान, तकनीकि एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा।

देश में बढ़ रहे बेरोजगारी पर राष्ट्रीय जनता दल चिन्तित है। राष्ट्रीय जनता दल सर्वेक्षण कराकर ऐसे प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी अथवा स्वनियोजन का अवसर उपलब्ध करायेगा। कृषि को रोजगारपूरक एवं लाभकारी बनाने के लिए पहल करेगा। बागवानी, क्वाकल्चर, वानिकी, पशुपालन, मतस्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नये निवेश, ऋण, विपणन और औद्योगिकी को लाकर रोजगार के नये अवसर का निर्माण किया जायेगा। राष्ट्रीय जनता दल खादी और ग्रामोद्योग आयोग को नया स्वरूप प्रदान करेगा। इसे आधुनिक शोध आधारित और ग्रहकों के जरूरत पर आधारित संगठन के रूप में विकसित किया जायेगा। वस्त्र, हैण्डीक्राप्टस, नग एवं आभुषण, चमड़े के समान, सॉफ्टवेयर, हल्की ईजिनियरिंग और ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं जिनके उत्पादन में मानव श्रम का उपयोग होता हो, का निर्यात बढ़ाकर भी रोजगार के नये अवसर पैदा किए जायेगें। इसके अलावा लहठी, चुड़ी, जड़ी,दस्तकाड़ी एवं अन्य ग्रामिण–शिल्प को बढ़ावा दिया जायेगा। जिसे ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन हो सके। इसके लिए तकनीकि, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रणाली का विस्तार किया जायेगा।

बुजूर्गो का सम्मान

आयकर दाता एवं पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत सरकारी सेवकों को छोड़कर सभी बुजूर्गो को वृद्धावस्था पेंशन सुनिश्चित की जायेगी। वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढोतरी की जायेगी एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। सभी स्तर के अस्पतालों में बुजूर्गो के लिए अलग वार्ड की स्थापना की जायेगी। आंधप्रदेश में चल रहे राजीव गांधी आरोग्यश्री योजना को बिहार में लागू किया जायेगा। बुजूर्गों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामील किया जायेगा। प्रत्येक जिला में सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम की स्थापना की जायेगी। राजद बुजूर्गो के सम्मान एवं कल्याण हेतु वरिष्ठ नागरिक सेवा योजना शुरू करेगा जिसके अन्तर्गत उनके स्वाथ्य एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी।

महिला सशक्तिकरण

राष्ट्रीय जनता दल सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सह भागिता, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए पुरी तरह बचनबद्ध है। राजद महिला आरक्षण का समर्थक है। इसका मानना है कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अल्पसंख्यक वर्गो की महिलाओं का भी उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। राजद दिल्ली के समान बिहार में एकल महिलाओं के लिए भी पेंशन का प्रावधान लागु करेगी। विधवा पेंशन भूगतान के लिए न्युनतम उम्र सीमा 40 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जायेगा। सभी गरीब परित्यक्त एवं एकल महिलाओ को सभी समाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों से जोड़ने एवं राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के भाति एकल महिलाओं के बच्चों के पालन–पोषण में सरकार की ओर से वित्तिय सहयोग पूरे देश में लागु करेगी। महिला उत्पीड़न की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए प्रत्येक जिला में महिला थाना एवं महिला अधिकारों से जुड़े मामलों के निपटारों के लिए जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अलग से महिला कोर्ट की स्थापना करेगी। महिला जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी प्रत्येक थाना में महिला कास्टेबल एवं पदाधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य होगी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी। सरकारी क्रिया कलापों में महिलाओं के सामुदायिक हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

बाल विकास

राष्ट्रीय जनता दल बाल विकास विभाग नामक एकीकृत संस्था का गठन करेगी जो बच्चों के कल्याण एवं विकास से जुड़े सभी मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण बालश्रम, मानव व्यापार एवं यौन शोषण, शिक्षा इत्यादि पर समग्र रूप से काम करेगी। शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अन्तर्गत छह साल से 18 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेगी। मिलेनियम डेवलापमेंट गोल्स (एमडीजी) चार के अन्तर्गत निर्धारित शिशु मृत्युदर (सीएमआर) में दो तिहाई की कमी लाने हेतु समग्र योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी। बालश्रम को रोकन के लिए राजद बाल श्रमिक कानून का सख्ती से लागु करायेगा। बाल श्रमिक आयोग को प्रभावशाली बनाया जायेगा। भ्रुण–हत्या के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

अल्पसंख्यक

राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सभी स्तरो पर इनके मान–सम्मान की रक्षा और राज–कार्य में भागीदारी हमारा नीतिगत फैसला है। सरकारी और अर्धसरकारी विभागों में नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगी। धारा 341 में परिवर्तन करवाकर दलित मुसलमानों एवं दलित ईसाईयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जायेगा। सच्चर कमिटी एवं न्यायमर्ति रंगनाथ मिश्र कमिटी के सिफारिशों को लागु किया जायेगा। प्रधानमंत्री का 15 सुत्री कार्यक्रम को प्रभावशाली ढ़ग से लागु किया जायेगा। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए उनकी आबादी के अनुपात में बजट का प्रावधान किया जायेगा। अल्पसंख्यकों क जानमाल के सुरक्षा के लिए दंगा–रोधी बल का गठन किया जायेगा, जिसमें अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व होगा। साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी सख्त कानून बनाये जाएगें। वक्फ बोर्ड को स्वायत्तता प्रदान करते हुए उसे कानुनी दर्जा देकर सभी प्राशासनिक अधिकार दिये जायेगें। उर्दू भाषा के विकास के लिए बिहार सहित अन्य राज्यों में केन्द्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। मदरसों के आधार भुत संरचना के लिए राशि उपलब्ध कराई जायेगी। एवं उसमे पढ़ने वाले छात्रों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। अल्पसंख्यक बहुल वस्तियों में उर्दू आवासीय विद्यालय की स्थापना की जायेगी। आवश्यकता अनुसार उर्दू प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगें। कब्रीस्तानों को घेराबंदी हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगो। और अतिक्रमण से बचाव के लिए कानून बनाया जायेगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। सरकार के सभी नियुक्ति निकायों (लोक सेवा आयोग एवं अन्य) में अल्पसंख्यक समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

आतंकवाद के नाम पर जिस बकसूर बिहारी नौजवानों को पकड़ा गया है और लम्बे अरसे से जेलों में बन्द है। समीक्षा कर उनकों इंसाफ दिलाने में कारगर पहल किया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी समीक्षा के दौरान इस मामले में बहुत से नौजवानों को निर्दोष पाया है और वर्षों से जेलों में बन्द लोगों को इंसाफ देने का काम किया है। आतंकवाद को किसी मजहब एवं कौम से जोड़ना उचित नहीं है।

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां

वैसे प्रखंडों जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी 10 हजार से अधिक है। उन प्रखंडों में उनके लिए आवासीय विद्यालय सह छात्रावास की स्थापना की जायेगी। राज्यों में ''राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण'' /''राज्य अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण किए जा रहे 50 प्रतिशत से अधिक के आरक्षण को आवश्यक कानूनी उपायों द्वारा पुरा किया जायेगा। राष्ट्रीय जनता दल सभी राज्यों में मंडल कमीश्न के तर्ज पर आरक्षण को सख्ती से लागु किए जाने के लिए कानुन बनाये जाने के पक्ष में है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के बैकलॉग को अभियान चलाकर भरा जायेगा। ''वन अधिकार'' कानून को अभियान के रूप में कार्यान्वित किया जायेगा।

पिछड़ा/अतिपिछड़ा

पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार में काफी मन्द गति से चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा के कल्यानार्थ चल रही योजनाओं को तेजी से लागु करेगा।

अतिपिछड़ी जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए सभी प्रखंड में निःशुल्क आवासीय विद्यालय खोला जायेगा। जिला मुख्यालय में भी अतिपिछड़ी छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास खोला जायेगा। अतिपिछड़ी जाति के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विशेष अनुदान दिया जायेगा। छात्रवृति की राशि एवं संख्या में वृद्धि की जायेगी। उनके परम्परागत रोजगार के लिए अनुदान एवं आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल अतिपिछड़ी जाति के नोनीया, मलाह, कानु, ततमा, बिन्द, बेलदार, नाई, माली, गड़ेरी, कुम्हार, सिन्दुरिया, टिकुलहारा, चन्द्रवंशी जातियों को अनुसूचित जाति एवं लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी की मान्यता के लिए कारगर पहल करेगा।

व्यवसायो वर्ग

देश के आर्थिक विकास में व्यवसायियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद के पहल पर स्वर्ण आभूषण पर लगाया गया उत्पाद कर को समाप्त किया गया। राजद व्यवसायियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने एवं उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने का हिमायती है। राजद

टैक्स देने की प्रक्रिया का सरलीकरण करेगी। पूरे देश म एक प्रकार की वाणिज्य कर प्रणाली को लागु करेगी। साथ ही व्यवसायियों को इस्पेक्टर राज से मुक्ती दिलायेगी। 7 ए.सी. का हो रहे दुरूपयोग को रोकने के लिए, इस कानून की समीक्षा कर इसे संशोधित किया जायेगा।

विकलांग

विकलांगों के प्रति राजद काफी संवेदनशील है। राजद की सहभागिता वाली केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा विकलांगों के लिए इन्दिरा आवास सहित कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। राजद विकलांगों के पूनर्वास एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलायेगी। उनके लिए विशेष रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाएगे। शिक्षण संस्थानों, नौकरियों एवं जन विकास के सभी कार्यक्रमों में उनके लिए पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी। और उसे सख्ती से लागु किया जायेगा। उनके लिए प्रत्येक जिला में पृथक नियोजन केन्द्र एवं हेल्प सेन्टर की स्थापना की जायेगी।

शराब नोति

खुली शराब नोति के कारण स्वास्थ्य शिक्षा एवं समाज पर प्रतिकूल असर पर रहा है। बिहार में राज्य सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ति के नाम पर बड़े पैमाने पर शराब की दुकान खोली जा रही है। जिसका दुष्यप्रभाव, कानून व्यवस्था से लेकर घरेलु हिंसा तक देखने को मिल रहा है। राष्ट्रोय जनता दल शराब बिक्री को क्रमिक रूप से प्रतिबंधित करेगी।

भ्रष्टाचार

राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई के लिए पुरी तरह प्रतिबद्व है। राजद के समर्थन वाली युपीए सरकार द्वारा लोकपाल विधेयक पारित किया गया। राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार निरोधक विधेयकों को प्राथमिकता के आधार पर पारित कराने का पक्षधर है। इसके साथ ही हमारी यह भी दृढ़ मान्यता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दें को राजनीतिक बदले का हथियार नहीं बनने दिया जायेगा। हम कानून को लागु करने वाली ऐजेंसियों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करेंगे ताकि राजनोतिक बदला चुकाने के लिए ऐसी ऐजेंसियों का दुरूपयोग नहीं किया जा सके।

बिहार में आज जिस प्रकार भ्रष्टाचार का सामाज्य स्थापित हो चुका है। दाखिल–खारिज, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, क्रिमीलेयर प्रमाण पत्र, थाने में प्राथमिकी दर्ज करने सहित गरीबोन्मुखी अन्य योजनाओं में जिस प्रकार भ्रष्टाचार आम हो गया है। उससे जनता को त्राण दिलाने के लिए राजद कृतसंकल्पित है।

सरकार में पारदर्शिता/सुचना का अधिकार/मीडिया

राष्ट्रीय जनता दल नागरिकों को सचना प्राप्त करने के अधिकार को स्वीकार करता है। राजद प्रेस को पुरी स्वतंत्रता प्रदान करेगा। और प्रेस मीडिया से जुड़े लोगों को सुरक्षा की गारंटी देगा। पत्रकारों के लिए सम्मान योजना शुरू की जायेगी, जिसके तहत उनके अवकाश ग्रहण करने के बाद सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए सम्मान राशि प्रदान की जायेगी। उनके परिवार को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया जायेगा। बिहार में जिस प्रकार आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल इससे चिन्तित है। हम आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं को हर प्रकार से सुरक्षा उपलब्ध करायेगें। विद्यालयों के पाठयक्रम में आर.टी.आई. कानून को शामिल किया जायेगा। धारा 4 के अन्तर्गत जो सुचनाएं स्वतः स्फूर्त प्रदर्शित की जानी चाहिए। उन्हें बेवसाईट पर डाला जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।

नागरिकों की सुरक्षा

बिहार में आज जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। और आराजकता का वातावरण बन गया है। राजद पुलिस और प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगाने के साथ ही प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा की समिक्षा कर उसे लागु करेगा और पुलिस को जन सहयोगी बनायेगा। पुलिस ट्रेनिंग पेशेवर बनाया जायेगा। नागरिक कानून को जन अकांक्षाओं एवं बदलते समाज और जोवन पद्धति के अनुरूप बनाने हेतु 1860 की भारतीय दंड संहिता की समिक्षा के लिए आयोग का गठन किया जायगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

राष्ट्रीय जनता दल के भागीदारी वाली केन्द्र की यूपीए एक की सरकार ने मनरेगा का कानून बनाकर ग्रामीण स्तर पर रोजगार मुहैया कराने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। आजादी के बाद गरीबों के हक में यह एक क्रांतिकारी कदम है।

बदले परिवेश में राष्ट्रीय जनता दल इस कानून में निम्नलिखित संसोधन करने का पहल करेगा। इस कानून के लागू होने के बाद कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। इस लिए मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जायेगा और किसानों को मनरेगा के माध्यम से कृषि श्रमिक उपलब्ध कराया जायेगा। मजदूरी के बड़े अंश का भूगतान सरकार द्वारा किया जायेगा। मजदूरी का युनिट प्रति परिवार न होकर प्रति मजदूर किया जायेगा। वर्ष में एक सौ दिनों के बदले दो सौ दिन काम मुहैया कराई जायेगी। मानकों के आधार पर न्युनतम मजदूरी का निर्धारण किया जायेगा। राजद के पहल पर ही पूर्व निर्धारित मजदूरी एक सौ रूपया से बढ़ाकर एक सौ बासठ रूपया प्रतिदिन किया गया। अधिनियम के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण, लोगों के भागीदारी के साथ किया जायेगा। काम न दिये जाने पर बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के प्रावधान को सख्ती से लागू किया जायेगा। राष्ट्रीय जनता दल इस कानून को शत–प्रतिशत लागू करने के लिए कृत संकल्पित है। असंगठित मजदूरों का निबंधन किया जायेगा। शहरों के लिए भी मनरेगा तर्ज पर कानून बनाया जायेगा।

आपदा प्रबंधन

बिहार सहित देश के अनेक भागों को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं से जुझना पड़ता है। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल एक प्रभावकारी कार्य योजना बनायेगी। बिहार में प्रत्येक वर्ष विनाशकारी बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जायेगा। राजद की सहभागीता वाली केन्द्र की यूपीए एक की सरकार द्वारा बाढ, अगलगी एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए इन्दिरा आवास का कोटा अलग से निर्धारित किया गया था। राजद आपदा प्रभावित परिवारों को पुर्नवास के साथ ही उनके लिए रोजी–रोटो की व्यवस्था करेगी। प्रत्येक प्रखंड में अग्निशामक की गाड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।

2008 के कोशी बाढ़ पीड़ितों सहित राज्य के सभी बाढ़ एवं कटाव से विस्थापित लोगों के राहत और पुर्नवास संबंधित कार्यक्रम समयबद्ध एवं समयसीमा के अन्तर्गत कार्यान्वित की जायेगी।

पंचायती राज/स्थानीय स्वशासन

संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन के द्वारा तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र में सत्ता का विकेन्द्रीकरण है। बिहार में राजद सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था कायम की गई। 2001 में

स्थानीय निकायों का चुनाव कराया गया। संविधान प्रदत्त अधिकारों से उन्हें लैस किया गया। 29 विभागों द्वारा अधिसूचना और संकल्प निकालकर उनके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण कर उन्हें हस्तांतरित किया गया। जिसका परिणाम भी सकारात्मक रहा। 2005 में बिहार में भाजपा और जदयु की सरकार बनने पर अधिनियम में संसोधन कर पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारों में कटौती कर दी गई। और जो अधिकार दिए भी गए उनके संबंध में आज तक किसी भी विभाग ने कोई अधिसूचना या संकल्प जारी नहीं किया। पंचायती राज व्यवस्था आज अधिकार विहिन बन गया है। राजद पंचायती राज व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ बनाकर उसे उसके अधिकार से लैस करेगी। राजद पंचायतों एवं नगर निकायों को अधिक से अधिक प्रशासनिक और वित्तिय अधिकार देकर मजबूत बनाने का हिमायती है, ताकि स्थानीय स्वशासन को सफल बनाया जा सके तथा जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निपटारा हो सके।

ग्रामीण विकास

राष्ट्रीय जनता दल गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देतो है। राजद की सहभागीता वाली यूपोए की सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए कई योजनाएं लागु की गई। भारत निर्माण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विधुतिकरण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री ग्रमीण सड़क योजना, राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता मिशनजैसी अनेक योजना चलाकर गांव में बसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार के अनेक प्रयास किए गए।

राष्ट्रीय जनता दल सभी चिरागी गांव को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का काम प्राथमिकता के आधार पर करेगी। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जायेगी।

मतदाताओं से अपील

मतदाता भाईयों और बहनों!

16 वीं लोकसभा का चुनाव 7 अप्रैल 2014 से शुरू होकर पूरे देश में नौ और बिहार में छह चरणों में सम्पन्न होने जा रहा है। यह चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। साम्प्रदायिकता और कट्टरपंथ का कुरतम प्रहार भारतीय समाज झेल चुका है। इस देश की गंगा–जमुनी समन्वित संस्कृति और साझी विरासत तथा समाज के

धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु स्वरूप को बचा कर ही हम अपने लोकतंत्र की रक्षा कर सकते है।

केन्द्र की यूपीए एक की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल की भागीदारी और इसके द्वारा आम जनता के हित में उठाये गए कदमों से देश की जनता भलि–भांति परिचित है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और जनमुखी समावेशी विकास के मुद्दें के साथ देश के आंतरिक एवं वाह्य सुरक्षा के सवाल के साथ हम यह लोकसभा चुनाव लड़ रहे है।

इस चुनाव के माध्यम से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, गरीबों और उच्च वर्ग के तमाम प्रगतिशील लोगों की आशाओ, आकांक्षाओं को सकार रूप देने तथा सत्ता और समाज में सम्मानपूर्ण भागीदारी दिलाने के चुनौतीपूर्ण संघर्ष में ऐतिहासिक योगदान के लिए राष्ट्रीय जनता दल देश के मतदाता भाईयों और बहनों का आह्वान करता है।

यह चुनाव महज लोकसभा का ही चुनाव नहीं है। लोकसभा का यह चुनाव बिहार का दशा और दिशा तय करेगी। बिहार की सत्ता से लोकतंत्र का स्वरूप समाप्त हो चुका है। राजद शासनकाल में बिहार की सत्ता में जिस प्रकार अंतिम पायदान के लोगों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को भागीदारी मिल रही थी। उन्हें मानसिक गुलामी स मुक्ति मिली थी। आज वह स्थिति नही है। राजद शासनकाल में वे मुख्य धारा के अंग थे। पिछले साढ़े आठ वर्षों में उन्हें न केवल उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। बल्कि पुनः उन्हें हासीय पर धकेलने की कोशिश हो रही है। इस लोकसभा चुनाव के एक वर्ष के बाद ही बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में यदि आप कहीं चुक करते है तो इसका प्रभाव आगामी विधानसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा।

2004 के लोकसभा चुनाव में आप का भरपुर समर्थन मिला था। और लोकसभा तथा केन्द्र सरकार में राजद की अच्छी उपस्थिति थी। जिसका परिणाम आप देख चुके है। बिहार को पहली बार प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराया गया। विभिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाएं बिहार में लाई गयी। केन्द्र से प्राप्त धन को राज्य सरकार सही ढ़ग से खर्च भी नहीं कर पायी। कन्द्र से प्राप्त राशि का अधिकांश हिस्सा भ्रष्टाचार और घोटालों की भेंट चढ़ गई। और केन्द्र के पैसे से जो

विकास हुआ उसे राज्य सरकार अपनी उपलब्धी बताकर बाहबाही लूटना चाह रही है।

पिछले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में राजद के बारे में भ्रामक और तथ्यहीन झुठा प्रचार कर मतदाताओं को भ्रमित किया गया। जिस कारण राजद को अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिली। परिणाम है कि बिहार में आज खास लोगों की सरकार है। आम लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। अतः इस लोकसभा चुनाव में सचेत रहने की आवश्यकता है।

आइए, हम नये उत्साह, असीम साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल एवं राजद गठबंधन के कांग्रेस पार्टी एवं एनसीपी उम्मीमदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनायें; ताकि देश की जनता की आकांक्षाओ के अनुरूप केन्द्र में धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन कर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के साथ महान लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा के साथ ही देश और प्रदेश का समावेशी विकास हो सके और बिहार को उसका वाजिव हक मिल सके।

राष्ट्रीय जनता दल जिन्दाबाद! जय हिन्द!!